तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही वकील प्रार्थी को कार्यवाही वास्ते पत्रावली आदेश हेतु पत्रावली आदेश। दिनांक 31.10.2022 को पेश हो। [signature]
31/10/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] आदेश पृथक से [illegible] किया गया। पत्रावली [illegible] नस्ती [illegible] हो। [signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 773/2022
दायर दिनांक :– 17.08.2022

अनवान

आशीष पुत्र धर्मचन्द धाकड जरिये माता सोनिया पत्नि धर्मचन्द धाकड नि. फलासिया तह. जहाजपुर

प्रार्थी.....

बनाम

1. धर्मचन्द पिता रामस्वरूप धाकड नि. फलासिया तह. जहाजपुर
2. रामस्वरूप पिता छोटू धाकड नि. फलासिया तह. जहाजपुर
3. उप पंजीयक पण्डेर तह. जहाजपुर
4. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री अंजनी कुमार शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी,

:: आदेश ::

दिनांक31.10.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी अवयस्क होने से प्रार्थी के हितार्थ जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी के पिता है एवं अप्रार्थी सं. 2 प्रार्थी के दादा है। ग्राम माताजी का खेडा मे अप्रार्थी सं. 2 व अन्य खातेदार के सँयुक्त खाते एवं कब्जेकाश्त की आराजी सं. 1106 रकबा 0. 1457 है., आ. न. 1109 रकबा 0.1619 है., आ. न. 1112 रकबा 0.2266 है. भूमि स्थित है। इस भूमि मे प्रतिवादी रामस्वरुप का 1/2 हिस्सा है। ग्राम भगवानपुरा मे अप्रार्थी सं. 2 व अन्य खातेदार के संयुक्त खाते एवं कब्जेकाश्त की आराजी सं. 888 रकबा 0.2428 है., आ. न. 959 रकबा 0.7608 है. भूमि स्थित है। इस भूमि मे प्रतिवादी रामस्वरुप का 1/8 हिस्सा है। ग्राम भगवानपुरा मे अप्रार्थी सं. 2 व अन्य खातेदार के संयुक्त खाते एवं कब्जेकाश्त की आराजी सं. 1017/861 रकबा 0.5342 है., आ. न. 1018/861 रकबा 0.6556 है., आ. न. 861/15 रकबा 0.2509 है. भूमि स्थित है। इस भूमि मे प्रतिवादी रामस्वरुप का 1/8 हिस्सा है। उपरोक्त समस्त आराजियात प्रार्थी की पुश्तैनी जायदाद है। प्रार्थी का परिवार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होता है। इस कारण प्रार्थी को उपरोक्त समस्त जायदाद मे अपने जन्म से ही हक व अधिकार है। उपरोक्त जायदाद मे से कोई भी सम्पति अप्रार्थी सं. 1 की स्व

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

अर्जित सम्पति नही है। इस कारण उपरोक्त जायदाद को या उसके भू भाग को बिना प्रार्थी की सहमति के अप्रार्थी सं. 1 व 2 को अकेले विक्रय, रहन, बंधक या बक्शीश करने का कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 पेशे से चालक है जिसने अप्रार्थी सं. 2 को अपने बहकावे मे ले रखा है और बिना कोई वैधानिक आवश्यकता के एवं बिना पारिवारिक आवश्यकता के अप्रार्थी सं. 2 के नाम दर्ज भूमि को अकारण विक्रय कर प्रार्थी को उसके हक व अधिकार से महरुम करना चाहते है। इसी आशय से कुछ समय पूर्व भी प्रतिवादी सं. 1 ने प्रार्थी सं. 2 के नाम दर्ज भूमि को बिना किसी आवश्यकता के विक्रय कर दिया और अब वादपत्र मे वर्णित जायदाद को विक्रय करने को आमादा है जिसका अप्रार्थी सं. 1 व 2 को कोई वैधानिक अधिकार नही है। अप्रार्थी सं. 2 काफी वृद्ध होकर प्रतिवादी सं. 1 के बहकावे मे है जो अप्रार्थी सं. 1 के कहे अनुसार उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने को आमादा है । इसी आशय से अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने गॉव मे भूमि को विक्रय करने के संबंध मे बातचीत करना शुरु कर दिया है। अप्रार्थी सं. 2 यदि अपनी इस मंशा में कामयाब हो गये और अप्रार्थी सं. 2 ने अपने नाम दर्ज भूमि को अवैधानिक रुप से विक्रय कर खर्द बुर्द कर दिया तो प्रार्थी को अपने हक व अधिकार की भूमि वापस प्राप्त करने मे अनावश्यक मुकदमे बाजी मे उलझना पडेगा जिससे वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। प्रार्थी के हितार्थ श्रीमति सोनिया ने करीब 10 दिन पूर्व अप्रार्थी सं. 1 व 2 से निवेदन किया कि हमारे रुपयो की कोई पारिवारिक आवश्यकता नही है इस कारण वे उक्त भूमि को विकय कर खुर्द बुर्द नही करे किन्तु अप्रार्थी सं. 1 व 2 नहीं माने और उन्होने श्रीमति सोनिया को धमकी दी कि वे उक्त भूमि को विकय करके ही दम लेंगे। अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा भूमि खुर्द बुर्द करने की धमकी दिये जाने से वाद हेतूक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया प्रकरण होकर सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद कराया जावे कि अप्रार्थीगण मूल वादपत्र के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि के कुछ या संपूर्ण हिस्से को अवैधानिक रुप से किसी अन्य व्यक्ति को विकय , रहन, बंधक या बक्शीस न किये जाने मांग की।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान बताया कि उपरोक्त विवादित आराजियात में प्रार्थी का अपने हक हिस्सेनुसार निरन्तर कृषि भूमि पर कब्जे काश्त हैं उक्त कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 की पुस्तैनी कृषि भूमि हैं प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 हिन्दू विधिक से शास्ति हैं। उपरोक्त आराजियात पुश्तैनी होकर प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 की पुत्र होने से उक्त भुमि की वारिसान है। एवं हिन्दु लॉ अधिनियम के अनुसार प्रत्येक सदस्य का जन्म से पिता की सम्पति में बराबर का हकदार है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 उक्त विवादित भूमि को विकय/खुर्दबुर्द कर देते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टिया हैं। सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया गया तो प्रार्थी को अमुल्य क्षति होगी जिसका मुल्यांकन करना

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

संभव नही होगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें की प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजियात पर अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 विक्रय, रहन, बक्सीस, दान आदि हस्तांतरण न करे न करावे बाबत आदेश प्रदान कराना फरमावे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि पुश्तैनी होकर विरासत से अप्रार्थी सं. 2 के नाम संयुक्त खातेदार से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी का तर्क ये है कि उक्त भूमि पुश्तैनी होने से अप्रार्थी सं. 2 रामस्वरूप के हिस्से में से प्रार्थी का जन्म से ही उक्त भूमि पर अधिकार है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु एक सद्भावी केस प्रस्तुत किया गया है। जिसका विचारण उपरांत निर्णय किया जायेगा। अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण पाया गया है। यदि अप्रार्थी सं. 2 उक्त विवादित भूमि को विक्रय/खुर्दबुर्द कर देता है तो वाद बाहुल्यता बढेगी और प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की स्थिति में यथास्थिति बनी रहेगी, एवं अप्रार्थीगण को कोई विशेष असुविधा नहीं होगी। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण होकर सुविधा के सन्तुलन तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है, अतः न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. स्वीकार किया जाकर ग्राम माताजी का खेडा प. ह. फलासिया की आराजी सं. 1106, 1109, 1112 कुल किता 3 रकबा 0.5342 है. तथा ग्राम भगवानपुरा प. ह. फलासिया की आराजी सं. 888, 959 कुल किता 2 रकबा 1.0036 है. तथा ग्राम भगवानपुरा प. ह. फलासिया की आराजी सं. 1017/861, 1018/861, 861/15 कुल किता 3 रकबा 1.4407 है. में मूल वाद के निस्तारण तक उक्त भूमि में अप्रार्थीगण सं. 2 के हिस्से तक भूमि को विक्रय, रहन, वक्शीश न करने हेतु अप्रार्थी सं. 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner